(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री जयेश पारीक पुत्र आनंद स्वरूप पारीक, कार्यालय भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य अनुभाग) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 01/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12–02–2025	**–: निर्णय :–** 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 03.12.2024 में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 09.01.2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा ने इस कार्यालय के पत्रांक /सामान्य/आरटीआई/2024/28218 दिनांक 12.02.2025 से वांछित सूचना अपीलार्थी/प्रार्थी को उपलब्ध अवगत कराया है। जिसकी प्रतिलिपि रेकार्ड पर उपलब्ध है। 4. अपीलार्थी की ओर से भी किसी प्रकार की कोई आपति प्रस्तुत किया जाना अभिलेख पर मौजूद नहीं है और से किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी द्वारा उसे उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12–02–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	